राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 587/2012/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स फाइन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.,
एफ–1294/एच 1–2, रीको औद्योगिक क्षेत्र,
भिवाड़ी .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से

श्री विनय कुमार गोयल,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के अपील संख्या 80/163/आरवैट/2008–09/11–12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.08.2011 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी (जिसे आगे **"प्रत्यर्थी"** कहा जायेगा) की अपील स्वीकार करते हुए सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, सीमावर्ती उड़नदस्ता, भिवाड़ी–I (जिसे आगे **"सक्षम अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रूपये 1,20,232/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाहन संख्या एचआर 63ए 2170 को दिनांक 05.07.2008 को जांच अधिकारी द्वारा राठीवास रोड, रीको औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में चैक करने पर इसमें पी.वी.सी. कम्पाउण्ड भिवाड़ी से कालाम्ब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लिये परिवहनित किया जा रहा पाया गया। परिवहनित माल के सम्बन्ध में वाहन चालक द्वारा मैसर्स हरियाणा पंजाब ट्रांसपोर्ट कम्पनी की बिल्टी संख्या 3499 दिनांक 05.07.2008 तथा मैसर्स फाईन प्रोडक्ट्स प्रा. लि. भिवाड़ी का इनवॉइस संख्या 33 दिनांक 05.07.2008 पेश किया जिसमें 225 बैग्स पी.वी.सी. कम्पाउण्ड, वजन 9000 कि.ग्रा. कीमतन् रूपये 40,00,774/– पेश

निरन्तर.....2

किया। उक्त माल मैसर्स कॉन्टीनेन्टल टेलीपॉवर इण्डिया लि., कालाम्ब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को भेजा जा रहा था। परिवहनित माल के साथ में घोषणा पत्र वैट 49 नहीं पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं प्रत्यर्थी का प्रत्युत्तर प्राप्त होने के पश्चात् इसे अमान्य करते हुए शास्ति रूपये 1,20,232/– आरोपित की गई।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में परिवहनित माल के साथ में निर्दिष्ट घोषणा पत्र वैट–49 नहीं पाया गया था लिहाजा सक्षम अधिकारी द्वारा जो शास्ति आरोपित की गई है वह पूर्णतः विधिसम्मत है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे अपास्त कर विधिक त्रुटि की गई है। अतः उन्होंने अपीलीय आदेश को अपास्त कर सक्षम अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में यह लिखा गया था कि वाहन चालक भूलवश घोषणा पत्र वैट–49 साथ में नहीं ले जा पाया और उसे फैक्ट्री में ही छोड़ दिया था, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी. मैटल्स बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में दिये गये निर्णय के प्रकाश में जो शास्ति अपास्त की गई है वह पूर्णतः उचित व विधिसम्मत है। अतः उन्होंने विभागीय अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उल्लेखनीय है कि सक्षम अधिकारी की मूल पत्रावली कर बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है बल्कि शास्ति आदेश, अपील आदेश आदि की छाया प्रतियां तथा अन्य पत्राचार आदि से तैयार की हुई पत्रावली ही प्राप्त हुई है जिसके कवर पर "मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं है", का नोट लगाया हुआ है, अतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकॉर्ड के आधार पर ही तथ्यों का अवलोकन किया गया है। सक्षम अधिकारी ने अपने शास्ति आदेश दिनांक 07.07.2008 में व्यवहारी के प्रत्युत्तर का उल्लेख किया है, जो निम्नानुसार हैः–

> *"उन्होंने अपने लिखित जवाब में जाहिर किया कि मैसर्स फाईन प्रॉडक्ट प्रा. लि., भिवाड़ी ने माल पी.वी.सी. कम्पाउण्ड जरिये बिल क्रमांक 33, दिनांक 05.07.2008 एवं वैट 49 में* (SIC नम्बर) *2568252 से मैसर्स कॉन्टीनेन्टल टेलेपावर इण्डिया लि., ग्राम रामपुर जाटान, नहान रोड़, कालम्ब, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) को डिस्पेच किया। वाहन चालक भूल वश वैट 49 को साथ नहीं ले जा पाया। और उसे फैक्ट्री में ही छोड़ दिया। व्यवहारी नियमित पार्टी है, यह माल सी फार्म के विरूद्ध भेज रहे हैं। इस पार्टी ने उत्पादन एवं डिस्पेच 01.05.2008 से प्रारम्भ की है। साथ*

निरन्तर.....3

ही वैट 49 नं. 2568252 संलग्न किया है। प्रकरण का फैसला आज ही करके वाहन को मयमाल मुक्त करवाने का निवेदन किया है।"

6. अपीलीय अधिकारी ने पाया है कि परिवहनित माल के दस्तावेजों को सक्षम अधिकारी द्वारा गलत या बोगस साबित किये बिना एवं अपीलार्थी व्यवहारी की करवंचना की मंशा को सिद्ध किये बिना ही अधिनियम की धारा 76(6) के अधीन शास्ति आरोपित की है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स डी.पी. मैटल्स के परिप्रेक्ष्य में न्यायसंगत नहीं पाये जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति अपास्त की गई।

7. उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि वाहन चालक भूलवश वैट–49 को साथ नहीं ले जा पाया और उसे फैक्ट्री में ही छोड़ दिया। चूंकि माल के अन्य दस्तावेज यथा बिल एवं बिल्टी साथ में थे तथा घोषणा पत्र वैट–49 वाहन चालक की त्रुटिवश पीछे फैक्ट्री में ही छूट गया था जिसे प्रत्युत्तर के साथ में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स डी.पी. मैटल्स (124 STC 611) के प्रकरण में दिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। उक्त निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी कारणवश दस्तावेज वाहन के साथ में नहीं पाये जाते हैं तो प्राकृतिक न्याय के हित में व्यवहारी को उचित अवसर दिया जाना चाहिये।

8. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी के इस प्रत्युत्तर कि वाहन चालक फॉर्म वैट–49 गलती से फैक्ट्री परिसर में ही छोड़ आया था, सम्बन्धी तथ्य को समक्ष अधिकारी द्वारा जांच पश्चात् अमान्य नहीं किया गया है, अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त सन्दर्भित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा जो शास्ति अपास्त की गई है उसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, लिहाजा अपीलीय आदेश पुष्टि योग्य है।

9. अतः ऊपर की गई विवेचना एवं सन्दर्भित न्यायिक निर्णय के अनुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

03.04.2018

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य